भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5303

जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है।

.....

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना

5303. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के अंतर्गत विभिन्न चरणों में पुनर्वास हेतु पहचान किए गए बांधों की राज्यवार और वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तेलंगाना में जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ख) संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेपों सहित इन बांधों के लिए शुरू किए गए विशिष्ट पुनर्वास उपायों का ब्यौरा क्या है और इन पहलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) डीआरआईपी के आरंभ होने से लेकर इसके अंतर्गत आवंटित और उपयोग किए गए कुल बजट का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बांध सुरक्षा और प्रचालनात्मक निष्पादन पर डीआरआईपी का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार ने अप्रैल 2012 से मार्च 2021 के दौरान विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) चरण-I को कार्यान्वित किया। इस योजना के अंतर्गत सात राज्यों (झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में स्थित 223 बांधों का भौतिक पुनर्वास किया गया। डीआरआईपी चरण-I के अंतर्गत पुनर्वासित बांधों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

डीआरआईपी चरण-I कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा एक अन्य बाह्य वित्त पोषित योजना डीआरआईपी चरण-II और चरण-III को मंजूरी दी गई। इस नई योजना में उन्नीस (19) राज्य और तीन केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। डीआरआईपी चरण-II और III योजना के लिए अनुमोदित मंत्रीमंडल नोट के अनुसार, बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण घटक के साथ-साथ 736 बांधों के पुनर्वास का प्रावधान है, जिसकी कुल परियोजना लागत 10,211 करोड़ रुपये है। डीआरआईपी-II और III योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बांधों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है। परियोजना में आवधिक और विशेष निरीक्षण के आधार पर बांध की स्थिति या बांध में संकट पैदा करने वाली किसी चरम घटना के घटित होने के आधार पर पुनर्वास के लिए बांधों को जोड़ने/प्रतिस्थापित करने की सुविधा है।

डीआरआईपी चरण-II और III के अंतर्गत तेलंगाना राज्य द्वारा प्रस्तावित बांधों की जिले-वार सूची **अनुलग्नक-III** में दी गई है। वर्तमान में, तेलंगाना राज्य आधिकारिक तौर पर इस योजना

में शामिल नहीं हुआ है। विश्व बैंक और राज्य सरकार के बीच एक परियोजना करार पर हस्ताक्षर किया जाना है।

(ख): डीआरआईपी योजना का लक्ष्य चिन्हित बांधों और उनसे जुड़ी सुविधाओं का पुनर्वास और सुधार करना है, साथ ही सुरक्षित और आर्थिक रूप से टिकाऊ बांध संचालन से संबंधित संस्थागत सुधार और नियामक उपायों को मजबूत करना है।
परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे पुनर्वास उपायों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं, लेकिन यह कार्य केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: जैसे चिनाई और कंक्रीट बांधों के माध्यम से रिसाव का उपचार और मृदा बांधों के माध्यम से रिसाव को कम करना; बांध जल निकासी में सुधार; उच्च बाढ़ का सामना करने की क्षमता में सुधार, जिसमें जल विज्ञान संबंधी आकलनों के अनुसार अतिरिक्त बाढ़ प्रबंधन सुविधाएं शामिल हैं, साथ ही बांधों को संरचनात्मक रूप से मजबूत बनाना; संरचनात्मक उपायों के भौतिक रूप से संभव न होने की स्थिति में उच्च डिजाइन बाढ़ से निपटने के लिए गैर-संरचनात्मक उपाय; स्पिलवे, हेड रेगुलेटर, ड्रॉ-ऑफ गेट और उनके संचालन तंत्र, स्टिलिंग बेसिन और डाउनस्ट्रीम स्पिलवे चैनलों का पुनर्वास और सुधार; संपर्क सड़कों में सुधार; कार्यालय एवं आवास व्यवस्था में सुधार; और बांध सुरक्षा उपकरणों में सुधार। यह परियोजना परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं, आकस्मिक राजस्व सृजन, आपातकालीन तैयारी योजनाओं, जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन चेतावनी प्रणालियों के विकास, जन जागरूकता अभियान, बाढ़ क्षेत्र मानचित्रण और किफायती उपकरण आदि की तैयारी में भी सहायता करती है।

डीआरआईपी चरण-II के अंतर्गत गतिविधियों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 26 बांधों का वास्तविक पुनर्वास पूरा हो चुका है;
- बांधों की जलवैज्ञानिक सुरक्षा की जांच के लिए 287 बांधों की डिजाइन बाढ़ समीक्षा पूरी की गई;
- बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) ने 408 बांधों का निरीक्षण किया। 25 बांधों का डेम ब्रेक का विश्लेषण, 10 बांधों का ओ एंड एम मैनुअल तैयार किया गया है;
- अब तक 106 बांधों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपये की राशि के ठेके दिए जा चुके हैं।
- आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बैंगलोर में बांध सुरक्षा में एम.टेक की शुरुआत की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 108 छात्रों ने नामांकन कराया और 49 छात्रों ने डिग्री पूरी की;
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की (फरवरी 2023) और आईआईएससी बैंगलोर (मार्च 2024) में बांधों के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आईसीईडी) स्थापित किए गए हैं। बांधों के लिए त्वरित जोखिम आकलन (आरआरए) रूपरेखा विकसित किया गया है;
- बांध सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में 900 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग): डीआरआईपी चरण-I के तहत आवंटित कुल बजट और किया गया व्यय **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

डीआरआईपी चरण-II के लिए बजट परिव्यय 5107 करोड़ रुपये है। डीआरआईपी चरण-II के तहत बजट आवंटन और व्यय का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

(घ): डीआरआईपी योजना का मुख्य उद्देश्य भागीदार राज्यों में चयनित बांधों की सुरक्षा बढ़ाना और भारत में बांध सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करना है। यह योजना चयनित बांधों की सुरक्षा और संचालनात्मक निष्पादन में सुधार के साथ-साथ सुरक्षित और वित्तीय रूप से संधारणीय बांध संचालन के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और स्थायी ओ एंड एम गतिविधियों के लिए आकस्मिक राजस्व सृजन पर केंद्रित है।
डीआरआईपी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विभिन्न बांध सुरक्षा पहलुओं पर व्यापक दिशा-निर्देशों का विकास करना है, जो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत तैयार किए गए नियमों के आधार हैं, जो बांध मालिकों को अधिनियम के तहत अनुपालन करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

परियोजना प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करके तथा सभी जल संसाधन पेशेवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके संस्थागत क्षमता निर्माण पहल में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। डीआरआईपी के तहत विकसित वेब आधारित डैम हेल्थ रिपॉजिटरी - डीएचएआरएमए का उपयोग राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के तहत बांध मालिकों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जा रहा है। डीआरआईपी के तहत विकसित जोखिम स्क्रीनिंग टूल 6000 से अधिक बांधों के जोखिम मूल्यांकन को तार्किक रूप से करने में बहुत मददगार है, जिससे जोखिम संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है।

परियोजना ने बांध मालिकों को गैर-संरचनात्मक उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया है, जैसे कि ओएंडएम मैनुअल की तैयारी, आपातकालीन कार्य योजना, वैश्विक रूप से स्वीकृत सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली। डीआरआईपी के शुरू होने से पहले, इन सुरक्षा योजनाओं का कोई प्रचलन नहीं था।
इस प्रकार, डीआरआईपी परियोजना देश भर में बांधों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए सकारात्मक प्रभाव पैदा करने में काफी सहायक है।

*****

अनुलग्नक-I

"बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5303 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डीआरआईपी चरण-I कार्यक्रम के तहत पुनर्वासित बांधों की संख्या

कार्यान्वयन एजेंसी	**बांधों की संख्या**
मध्य प्रदेश डब्ल्यूआरडी*	25
ओडिशा डब्ल्यूआरडी	26
तमिलनाडु डब्ल्यूआरडी	69
तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन	20
केरल डब्ल्यूआरडी	16
केरल एसईबी	37
के.ज.आ.	--
कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	22
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि.	5
दामोदर घाटी निगम	3
कुल	**223**

*डब्ल्यूआरडी: जल संसाधन विभाग

*****

अनुलग्नक-II

"बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5303 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डीआरआईपी चरण-II और III के तहत प्रस्तावित बांधों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/एजेंसी	बांधों की संख्या	अनुमानित लागत (करोड़)
1.	आंध्र प्रदेश	31	667
2.	छत्तीसगढ़	5	133
3.	गोवा	2	58
4.	गुजरात	6	400
5.	झारखंड	35	238
6.	कर्नाटक	41	612
7.	केरल	28	316
8.	मध्य प्रदेश	27	186
9.	महाराष्ट्र	167	940
10.	मणिपुर	2	311
11.	मेघालय	6	441
12.	ओडिशा	36	804
13.	पंजाब	12	442
14.	राजस्थान	189	965
15.	तमिलनाडु	59	1064
16.	तेलंगाना	29	545
17.	उत्तर प्रदेश	39	787
18.	उत्तराखंड	6	274
19.	पश्चिम बंगाल	9	84
20.	बीबीएमबी	2	230
21.	के.ज.आ.	---	570
22.	डीवीसी	5	144
कुल		**736**	**10,211**

*****

अनुलग्नक-III

"बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5303 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डीआरआईपी चरण-II और III के अंतर्गत तेलंगाना राज्य द्वारा प्रस्तावित बांधों की जिला-वार सूची

ईएफसी मेमो के अनुसार डीआरआईपी चरण-II में तेलंगाना राज्य द्वारा प्रस्तावित बांध:			
क्रम सं.	**कार्यान्वयन एजेंसियां**	**बांध का नाम**	**जिले का नाम**
1	तेलंगाना	एकेबीआर	नलगोंडा
2		बोग्गुला वागु	जयशंकर भूपलपल्ली
3		डिंडी परियोजना	नलगोंडा
4		हिमायत चगर	रंगा रेड्डी
5		कद्दाम	निर्मल
6		कोइलसागर	महबूबनगर
7		कौलासनल	कामारेड्डी
8		एलएमडी	करीमनगर
9		मल्लुरु वागु	मुलुगु
10		मुसी परियोजना	सूर्यापेट
11		नागार्जुन सागर	नलगोंडा
12		एनटीआर सागर	कोमाराम भीम आसिफाबाद
13		उस्मान सागर	रंगा रेड्डी
14		पाखल झील	वारंगल
15		पालेयर जलाशय	खम्मम
16		पेद्देवुलापल्ली जलाशय	नलगोंडा
17		पोचारम	कामारेड्डी
18		रामप्पा झील	मुलुगु
19		सथानाला	आदिलाबाद
20		स्वर्णा	निर्मल
ईएफसी मेमो के अनुसार डीआरआईपी चरण-III में तेलंगाना द्वारा प्रस्तावित बांध			
21	तेलंगाना	गद्देनावागु परियोजना	निर्मल
22		जुराला पीजेपी	जोगुलंबा गडवाल
23		लकनावरम	मुलुगु
24		निजाम सागर	कामारेड्डी
25		पीपी राव	कोमाराम भीम आसिफाबाद
26		सिंगुर	संगारेड्डी
27		श्रीपदा सागर (येल्लमपल्ली परियोजना)	पेद्दापल्ली
28		एसआरएसपी	निजामाबाद
29		वट्टीवागु	मंचेरियल

*****

अनुलग्नक-IV

"बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5303 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डीआरआईपी चरण-I के अंतर्गत राज्य-वार व्यय

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी	मूल लागत (करोड़ में)	संशोधित लागत (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)
1	एमपी डब्ल्यूआरडी	315	169	146
2	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	148	751	336
3	टीएन डब्ल्यूआरडी	486	543	506
4	टीएएनजीईडीसीओ	260	260	163
5	केरल डब्ल्यूआरडी	158	360	271
6	केरल एसईबी	122	154	124
7	के.ज.आ.	132	270	201
8	कर्नाटक डब्ल्यूआरडी	276	581	494
9	यूजेवीएनएल	64	235	226
10	डीवीसी	139	143	100
कुल		**2100**	**3466**	**2567**

*****

अनुलग्नक-V

"बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना" के संबंध में दिनांक 03.04.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 5303 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

डीआरआईपी चरण-II के अंतर्गत बजट आबंटन और व्यय का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य /एजेंसी	डीआरआईपी चरण-II का मौजूदा पुन: आवंटन	किया गया व्यय (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)	टिप्पणियां
		(करोड़ रूपए में)	(करोड़ रूपए में)	
1	एपी डब्ल्यू आर डी	238	0.68	
2	बीबीएमबी	70	0	हाल ही में डीआरआईपी II में शामिल
3	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआरडी	92	44.13	
4	डीवीसी	44	0	हाल ही में डीआरआईपी II में शामिल
5	गोवा डब्ल्यूआरडी	58	0	हाल ही में डीआरआईपी II में शामिल
6	गुजरात डब्ल्यूआरडी	290	186.66	
7	झारखंड डब्ल्यूआरडी	0	0	
8	केएडब्ल्यूआरडी (केपीसीएल सहित)	512	216.4	
9क	केरल एसईबीएल	90	47.56	
9ख	केरल डब्ल्यूआरडी	166	37.89	
10	महाराष्ट्र डब्ल्यूआरडी	379	34.48	
11	मणिपुर डब्ल्यूआरडी	150	59.72	
12	एमएपीजीसीएल	150	43.36	
13	एमपी डब्ल्यूआरडी	186	17.70	
14	ओडिशा डब्ल्यूआरडी	100	32.21	
15	पंजाब डब्ल्यूआरडी	71	0	हाल ही में डीआरआईपी II में शामिल
16	राजस्थान डब्ल्यूआरडी	503	148.55	
17क	टीएएनजीईडीसीओ	277	124.79	
17ख	टीएनडब्ल्यूआरडी	544	247.11	

18	तेलंगाना डब्ल्यूआरडी	100	0	डीआरआईपी II में शामिल किया जाना है
19	यूजेवीएनएल	248	165.09	
20क	यूपी आई एवं डब्ल्यू आरडी	354	4.45	
20ख	यूपी आरवीयूएनएल	0	0	डीआरआईपी II में शामिल किया जाना है
21	पश्चिम बंगाल आई एवं डब्ल्यू डी	200	32.092	
22	के.ज.आ.	285	124.03	
	कुल	**5107**	**1566.90**	

डीआरआईपी चरण-II के अंतर्गत बजट आबंटन और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा

क्रम.सं.	**वित्त वर्ष**	**व्यय (करोड़ रूपए में)**
1	2021-22	211.00
2	2022-23	481.00
3	2023-24	561.00
4	2024-25(दिनांक 28.2.2025 की स्थिति अनुसार)	313.90
कुल		**1566.90**

*****